10रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत दस रुपये TEN RUPEES
10रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES
10रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

137

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

निग-1993-I-16

राजस्व पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016 जिला जबलपुर

श्री ... द्वारा आज दि. 22/6/16 को प्रस्तुत ... राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

शेखर प्रसाद कोल पिता स्व. श्री हरीसिंह कोल
निवासी ग्राम सालीवाड़ा तहसील
व जिला जबलपुर ---- पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक

विरूद्ध

1. श्रीमती महेन्द्र कौर अठवाल पत्नि
   स्व. श्री जितेन्द्र सिंह अठवाल
   निवासी चौथा मील मण्डला रोड तिलहरी
   तहसील व जिला जबलपुर
2. म0प्र0 शासन द्वारा
   कलेक्टर, जिला जबलपुर ---- गैर पुननरीक्षणकर्ता/अनावेदकगण

रिविजन अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू.रा. संहिता, 1959

पुनरीक्षणकर्ता/आवेदकगण निम्नलिखित निवेदन करता है कि :-

आवेदक द्वारा कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक क्रमांक 358/अ-21/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 30.05.2016 से व्यथित होकर निम्न वर्णित तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत की गई है :-

रिवीजन के तथ्य

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध, अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किए जाने योग्य है ।

2- यहकि, अधीनस्थ विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदक के पिता द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उनके स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम पिपरिया खुर्द नं.बं. 182 प.ह.नं. 49 पुराना 67 रा.नि.मं. खम्हरिया तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 144 एवं 145 रकबा क्रमशः 0.430 एवं 0.860 कुल रकबा 1.290 हैक्टर भूमि अनावेदक/गैर आदिम जनजाति के सदस्य श्रीमती महेन्द्र कौर अठवाल पति स्व. श्री जे.एस. अठवाल को विक्रय करना चाहता है, अतः विक्रय करने की अनुमति प्रदान की जाये । उक्त आवेदन जिलाध्यक्ष ने आदेश दिनांक 10-07-2014 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को जांच कर प्रतिवेदन अभिमत सहित भेजने के निर्देश दिए गए । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जांच कर

शेखर कोल

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – निग0 1993-एक/16 जिला – जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24.6.16	यह निगरानी कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 358/अ-21/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 30.5.16 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं आवेदक की ओर से प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया । दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण आवेदक शेखर कोल के पिता स्व. श्री हरीसिंह कोल द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है । जिसमें उसके द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम पिपरिया खुर्द नं.बं. 182 प.ह.नं. 49 पुराना, नया 67 रा.नि.मं. खम्हरिया तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 144 एवं 145 रकबा क्रमशः 0.430 एवं 0.860 कुल रकबा 1.290 हैक्टर भूमि अनावेदक/गैर आदिम जनजाति के सदस्य श्रीमती महेन्द्र कौर अठवाल पति स्व. श्री जे. एस. अठवाल को विक्रय करने की अनुमति देने हेतु अनुरोध किया गया है । उक्त आवेदन कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, जबलपुर को जांच प्रतिवेदन हेतु भेजा गया । अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त आवेदन नायब तहसीलदार को जांच हेतु भेजा गया । जिस पर से नायब तहसीलदार द्वारा विधिवत जांच कर तथा उभयपक्ष के कथन लेने के उपरांत भमि विक्रय का प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को प्रस्तुत किया गया है । आलोच्य आदेश द्वारा कलेक्टर ने आवेदक को मूल आवेदन का संशोधन पत्र प्रस्तुत किये जाने के निर्देश	

निग०-1993, I/16 (जबलपुर)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	दिए हैं । कलेक्टर के इस आदेश के संबंध में आवेदक अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि उनके द्वारा पूर्व में ही आवेदन दिया जा चुका है तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर नायब तहसीलदार ने जांच कर अपना प्रतिवेदन दिया है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण का निराकरण करना चाहिए था, किंतु निराकरण न करते हुए पुनः मूल आवेदन का संशोधन प्रस्तुत करने के निर्देश देने में कलेक्टर द्वारा त्रुटि की गई है । आवेदक अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि चूंकि प्रकरण में जांच प्रतिवेदन प्राप्त हो चुके हैं इसलिए प्रकरण को लंबित रखने का कोई औचित्य नहीं है । उनके द्वारा प्रकरण का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश अधीनस्थ न्यायालय को देने अथवा इस न्यायालय द्वारा ही जिलाध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन को स्वीकार कर भूमि विक्रय की अनुमति दिये जाने का अनुरोध किया गया है । 3/ आवेदक की ओर से प्रस्तुत आदेश पत्रिकाओं, नायब तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के प्रतिवेदनों एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया । प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इस प्रकरण में भूमि विक्रय की अनुमति हेतु आवेदन आवेदक के पिता स्व. श्री हरीसिंह द्वारा दिया गया है, जिसकी मृत्यु होने पर आवेदक एवं उसकी मां द्वारा अनुमति देने का अनुरोध किया गया है । प्रकरण में कार्यवाही के दौरान आवेदक की मां की भी मृत्यु हो गई, इस कारण आवेदक द्वारा आवेदन पेश किया गया । प्रकरण में नायब तहसीलदार, खम्हरिया द्वारा जो जांच प्रतिवेदन पेश किया गया है वह आवेदक के संबंध में ही जांच कर पेश किया गया है, ऐसी स्थिति में संशोधन पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है । नायब तहसीलदार, द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि आवेदक के पिता हरीसिंह का निधन दिनांक 17-8-14 को तथा माता का निधन 7-10-15 को हो गया है । प्रतिवेदन में यह भी उल्लेख है कि आवेदित भूमि पट्टे की	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निग0 1993-एक/16 जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

भूमि नहीं है और भूमि विक्रय के पश्चात आवेदक के पास 5.97 हैक्टर भूमि शेष बच रही है । दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में आवेदक को भूमि विक्रय की अनुमति दिए जाने में उसके आर्थिक हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा । अतः यह निगरानी इसी स्तर पर स्वीकार की जाती है तथा जिलाध्यक्ष के समक्ष प्रचलित कार्यवाही समाप्त करते हुए आवेदक शेखरप्रसाद कोल पिता स्व. श्री हरीसिंह कोल को उसके भूमि स्वामित्व की ग्राम पिपरिया खुर्द नं.बं. 182 प.ह.नं. 49 पुराना, नया 67 रा.नि.मं. खम्हरिया तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 144 एवं 145 रकबा क्रमशः 0.430 एवं 0.860 कुल रकबा 1.290 हैक्टर भूमि अनावेदक/गैर आदिम जनजाति के सदस्य श्रीमती महेन्द्र कौर अठवाल पति स्व. श्री जे.एस. अठवाल को विक्रय करने की अनुमति निम्न शर्तो के साथ प्रदान की जाती है ।

1- यदि प्रस्तावित क्रेता वर्तमान चालू वर्ष की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो ।
2- क्रेता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी ।
3- भूमि के विक्रयपत्र का पंजीयन इस आदेश के दिनांक से 4 माह की समयावधि में निष्पादित कराना अनिवार्य होगा ।

निगरानी तद्नुसार निराकृत की जाती है । पक्षकार सूचित हों ।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर